न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 169/2017 (उदयपुर डिकी)

1. लक्ष्मणपुरी पिता शंकरपुरी गुसाई, निवासी मावली, तहसील मावली, जिला, उदयपुर (राज.)
2. इन्दपुरी पिता शंकरपुरी गुसाई, निवासी मावली, तहसील मावली, जिला, उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती चांदी बाई पत्नी शंकरपुरी गुसाई, निवासी मावली, तहसील मावली, जिला, उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. जीवनपुरी पिता नाथुपुरी गुसाई, निवासी मावली, तहसील मावली, जिला, उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती कमलापुरी पिता शंकरपुरी गुसाई, निवासी मावली, तहसील मावली, जिला, उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती मोहनी पुत्री शंकरपुरी पत्नी रामागिरी गुसाई, निवासी सरे मगरी, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्रीमती भुरी पुत्री शंकरपुरी पत्नी बाबुगिरी गुसाई, निवासी सरे मगरी, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
5. श्रीमती श्यामु पुत्री शंकरपुरी पत्नी धुलगिरी गुसाई, निवासी खमनोर की खेरी, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
6. राजस्थान जरिये तहसीलदार मावली, जिला, उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तगत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
व डिकी उपखण्ड अधिकारी मावली
दिनांक 06.10.2017, प्र.सं. 117/10

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री अरूण जैन अभिभाशक अपीलान्टगण
2. श्री तुलसीराम डांगी अभिभाषक रे. सं. 1
3. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———:::———

निर्णय दिनांक

30—07—2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 5 के पूर्वाधिकारी शंकरपुरी द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 6 के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मावली में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित कुल किता 11 रकबा 27 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्थित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 सगे भाई होकर दोनां का शामलाती अधिकार है। अतः उक्त भूमियों का विभाजन किया जाकर वादी का 1/2 हिस्सा स्वतंत्र रूप से राजस्व रेकार्ड में अकित किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा काण्उटर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नाथुगिरी का एक मात्र जाईन्दा वारिस प्रतिवादी संख्या 1 है। वादी का नाम गलत रूप से राजस्व रेकार्ड में अंकित हो गया है, जिसे हटाया जाकर समस्त भूमियों का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार कातश्कार घोषित किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर प्रकरण में कुल 3 तनकियात कायम की गयी तथा तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 06—10—2017 से वादी का वाद खारिज करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी शंकर के वारिसान द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 16—10—2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री तुलसीराम डांगी उपस्थित हुए। तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अधिवक्ता श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा काउण्टर क्लेम नाथुपुरी की मृत्यु के बाद पस्तुत किया गया है, जबकि नाथुपुरी की मृत्यु पर राजस्व कर्मचारियों द्वारा समस्त जांच कर नामान्तरकरण खोले गये। अपीलान्ट के पिता शंकरपुरी नाथुपुरी का गेलेड पुत्र नहीं होकर दत्तक पुत्र है, जिसे वादी/अपीलान्ट ने अपने वाद मे ंसाबित कराया है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री को सही बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तो यह पाया कि यह निर्विवाद है कि विवादित भूमियां पूर्व में नाथूपुरी वल्द गुलाबपुरी के खातेदारी एवं आधिपत्य की थी। अधिनस्थ न्यायालय से साक्ष्यों का विधिवत तनकीवार विवेचन करते हुए अपीलान्ट के पूर्वाधिकारी शंकरपुरी को नाथुपुरी का जाइन्दा पुत्र नहीं होना माना है तथा यह भी माना है कि वादी दिनांक 19–10–1953 की लिखा–पढ़ी के आधार पर अपना हक जताता है, लेकिन उसके द्वारा मात्र विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया है, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खण्डन का जवाबदावा एवं काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादी का नाम गलत दर्ज होने का कथन किया है। वादी द्वारा किसी प्रकार की घोषणात्मक राहत नहीं चाहे जाने तथा उनका नाम गलत इन्द्राज होने के आधार पर सिर्फ विभाजन का वाद प्रस्तुत किये जाने के कारण अधिनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद खारिज करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया है, जो उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06–10–2017 यथावत रखा जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 30–07–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....

व इजलास ..... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....

लक्ष्मणपुरी पिता शंकरपुरी गुसाई, निवासी मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर व अन्य

बनाम

जीवनपुरी पिता नाथुपुरी गुसाई, निवासी मावली, तह0 मावली, जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं॰.....169/2017.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी..... .....मावली..... मुकाम.....मुवर्खे.....06.....माह.....10.... 2017

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....30....माह.....07.....सन् 2019 रूबरू..... पक्षकारान

व हाजरी.....श्री अरूण जैन.....मिनजानिब अपीलान्ट व....श्री तुलसीराम डांगी

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06–10–2017 यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....30.....माह.....07... .....2019 को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0

1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील..... ..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।